

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1064] No. 1064] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1529(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 23) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 सितम्बर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/4/2006/सी.एल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

S.O. 1529(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2006 (23 of 2006), the Central Government hereby appoints the 16th day of September, 2006 as the date on which the provisions of Section 4 of the said Act, shall come into force.

[F. No.1/4/2006/CL.V] JITESH KHOSLA, Jt. Secy.